13.08.2026 राज्य द्वारा ए0डी0पी0ओ0।

अभियुक्त लखन प्रताप सिंह उपजेल नागौद से पेश नहीं, खाली वारंट पेश, जरिये वी0सी0 उप0। द्वारा अधिवक्ता सुश्री आकांक्षा अग्रवाल उप0।

अभियुक्त राजा उर्फ राज हामिद केन्द्रीय जेल सतना से पेश नहीं, खाली वारंट पेश। जरिये वी0सी0 उप0। द्वारा अधिवक्ता श्री व्ही0एस0 मिश्रा उप0।

प्रकरण अभियोजन साक्ष्य हेतु नियत है।

इसी स्तर पर फरियादी धीरज प्रसाद मिश्रा द्वारा उपस्थित होकर अभियुक्तगण के साथ राजीनामा हो जाना व्यक्त कर राजीनामा आवेदन प्रस्तुत किया गया।

फरियादी धीरज कुमार मिश्रा के राजीनामा कथन अंकित किये गये।

राजीनामा आवेदन पर विचार किया। आवेदन उचित रूप में प्रारूपित, टंकित एवं हस्ताक्षरित है। उस पर फरियादी का नवीनतम छायाचित्र भी लगाया है।

फरियादी की पहचान अधिवक्ता श्री महेन्द्र कुमार व्यास द्वारा की गई। वस्तुतः आवेदन इस आधार पर प्रस्तुत किया गया है कि अभियुक्तगण एवं फरियादी के आपस में मधुर संबंध है एवं अब उक्त प्रकरण चलाना नहीं चाहते। अतः आवेदन स्वीकार करने का अनुरोध किया गया।

उक्त आवेदन के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण का अवलोकन किया।

अभियुक्तगण राजा उर्फ राज हामिद एवं लखन प्रताप सिंह परमार के विरूद्ध फरियादी धीरज प्रसाद मिश्रा को बेईमानी से उत्प्रेरित कर उससे 95,000/—रूपये परिदत्त करने के लिए छल कारित करने के संबंध में धारा 318(4) बी0एन0एस0 का आरोप है। उक्त मामले में धारा 318(4) बी0एन0एस0 न्यायालय की अनुमति से राजीनामा योग्य है। आवेदक राजीनामा करने हेतु सक्षम व्यक्ति हैं।

अतः उक्त धारा 318(4) बी0एन0एस0 के संबंध में अभियुक्तगण के संबंध में राजीनामा आवेदन स्वीकार किया जाता है। **राजीनामा आवेदन स्वीकार किये जाने के कारण अभियुक्तगण राजा हामिद उर्फ राज एवं लखन प्रताप सिंह परमार को धारा 318(4) बी0एन0एस0 के आरोप**

से दोषमुक्त किया जाता है।

अभियुक्तगण राजा हामिद उर्फ राज एवं लखन प्रताप सिंह परमार का रिहाई आदेश जारी किया जावे।

अभियुक्तगण अनुसंधान एवं विचारण लंबित रहने के दौरान न्यायिक अभिरक्षा में रहे हैं। अतः उक्त संबंध में अभियुक्तगण का धारा 468 बी0एन0एस0एस0 के तहत ज्ञापन तैयार कर एक प्रति प्रकरण में संलग्न की जाये।

प्रकरण में जब्तशुदा संपत्ति के संबंध में कोई आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः अपील अवधि पश्चात् विधि अनुसार संपत्ति का निराकरण किया जावे।

प्रकरण का परिणाम सी0आई0एस0 4.0 पंजी में दर्ज कर प्रकरण अभिलेखागार भेजा जावे।

(रितिका शर्मा खरे)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
सतना (म0प्र0)

RITIKA SHARMA

Digitally signed by RITIKA SHARMA
Date: 2026.08.13 17:55:29 +0530